"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 अगस्त 2013—श्रावण 14, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-09-2003/12 (2).—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 23 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्ति में को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डार) नियम 2009 में निम्नलिखित संशोधन क रता है, अर्थात् :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अध्याय-दो खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास की व्यवस्था नियम 4 (4) के उपरांत निम्नानुसार प्रावधान अंतःस्थापित किया जाये :—

नियम 4 (5)

(एक) ऐसे प्रत्येक धात्विक अयस्कों (Metallic ores) की खानों में जिनमें खनिज पर रायल्टी अयस्क में शामिल धातु (मेटल कन्टेंट) और बेंचमार्क कीमतों के आधार पर मूल्य आधारित (ad-valorem basis) है, में पट्टेधारी खनिज अयस्क के उत्पादन पश्चात् खनिपट्टा क्षेत्र अंतर्गत ही खनिज अयस्क की विधिवत् ड्रेसिंग (dressing) एवं स्टेकिंग (stacking) कर नमूनीकरण हेतु प्ररूप-2(क) में संबंधित जिले के कलेक्टर को संबोधित आवेदन जिला कार्यालय की खनि शाखा में प्रस्तुत करेगा. खनि शाखा में आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर खनि पट्टा क्षेत्र में स्टेकिंग किए गए खनिज अयस्क के ग्रेड (मेटल कन्टेंट) की जांच हेतु रिप्रेजन्टेटिव सैम्पलिंग (नमूनीकरण) किया जाएगा, रिप्रेजन्टेटिव सैम्पलिंग (नमूनीकरण) की कार्यवाही खनि पट्टेधारी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में निम्नानुसार संयुक्त समिति द्वारा की जायेगी :—

(1) संबंधित जिले के खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक

(2) क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा उसके द्वारा नामांकित उप संचालक (भौमिकी)/सहायक भौमिकी विद.

(3) क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा नामांकित रसायनज्ञ/सहायक रसायनज्ञ

(4) खनि पट्टेधारी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

(दो) **स्टेक से सेम्पल लेने की प्रक्रिया—**

(1) खनि पट्टेधारी द्वारा खनिज उत्पादन पश्चात् रिप्रजेन्टेटिव सैम्पलिंग (नमूनीकरण) हेतु चट्टे 1 मीटर ऊंचाई के बनाये जायेंगे. चट्टे की चौड़ाई 5 मीटर एवं लंबाई 5 मीटर या उसके अगले गुणांक में रखी जायेगी.

(2) प्रत्येक 5 घन मीटर खनिज से औसतन एक नमूना के मान से, स्टेकिंग किए गए खनिज से सैम्पल (नमूने) लिये जावेंगे. प्रत्येक सैम्पल (नमूना) न्यूनतम 10 किलोग्राम का होगा. इस प्रकार एकत्रित नमूनों का कोनिंग-क्वॉटरिंग पद्धति से 10 किलोग्राम का रिप्रजेन्टेटिव सैम्पल (नमूना) विश्लेषण हेतु तैयार किया जावेगा.

(3) रिप्रेजन्टेटिव सैम्पल (नमूने) के 2 भाग किये जावेंगे. एक भाग को कंडिका 4(5)(एक) में उल्लेखित समिति द्वारा सीलबंद किया जायेगा, जिसे जिला कार्यालय (खनि शाखा) में रिजर्व नमूने के रूप में एक माह तक रखा जाएगा. रिप्रजेन्टेटिव सैम्पल (नमूने) के दूसरे भाग का उपयोग खनि पट्टेधारी द्वारा खनिपट्टा क्षेत्र में समिति के समक्ष विश्लेषण हेतु किया जायेगा.

(तीन) खनिपट्टाधारी अपने खनि पट्टा क्षेत्र से खनिज अयस्क के नमूने (सैम्पल्स) एकत्रित करने और उनके विश्लेषण करने के लिए समुचित सुविधा नियमानुसार माईन्स साईट पर स्थापित करायेगा. नमूनों के विश्लेषण की कार्यवाही उपर्युक्त कंडिका 4(5)(एक) में उल्लिखित समिति के समक्ष की जायेगी तथा विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त खनिज अयस्क के ग्रेड (मेटल कंन्टेंट) की जानकारी खनिपट्टाधारी द्वारा प्ररूप 2(ख) में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म; क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा संबंधित जिला कार्यालय को यथासंभव शीघ्र प्रेषित की जायेगी.

(चार) सैम्पल्स के विश्लेषण उपरान्त खनिज अयस्क के ग्रेड (मेटेल कन्टेंट्स) की जांच हो जाने के पश्चात् खनि पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर खनि पट्टा क्षेत्र से खनिज अयस्क का निकास/परिवहन किया जा सकेगा.

नमूना विश्लेषण उपरांत खनिज के ग्रेड (मेटल कन्टेंट) पर असहमति होने की दशा में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा निर्धारित ग्रेड (मेटल कन्टेंट) अनुसार खनिपट्टाधारी के द्वारा भुगतान की गई एवं देय रायल्टी राशि में अंतर होने पर, अंतर की राशि खनि पट्टाधारी से नियमानुसार वसूल की जावेगी.

(पांच) नमूनों के विश्लेषण परिणाम से प्राप्त खनिज अयस्क के ग्रेड (मेटल कन्टेंट) का मिलान माईनिंग प्लान में दर्शित औसत ग्रेड (मेटल कन्टेंट) से जिले के प्रभारी खनि अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा नमूने के विश्लेषण में प्राप्त ग्रेड (मेटेल कन्टेंट) माईनिंग प्लान में उल्लिखित ग्रेड (मेटल कन्टेंट) से कम प्राप्त होने की दशा में उसकी सूचना अधिकतम एक सप्ताह में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र के साथ-साथ फैक्स/ई-मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी. खनि पट्टेधारी द्वारा स्टेक खनिज अयस्क के नमूनीकरण उपरान्त प्राप्त ग्रेड (मेटल कन्टेंट) पर असहमति होने की दशा में रिजर्व नमूना/नमूनों का विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म की प्रयोगशाला में किया जायेगा. ग्रेड (मेटल कंटेन्ट) के सम्बन्ध में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म का निर्णय अंतिम होगा. खनिज अयस्क के खनि पट्टाक्षेत्र में किये गये विश्लेषण में प्राप्त ग्रेड (मेटल कन्टेंट) पर कोई असहमति न होने पर रिजर्व नमूने एक माह पश्चात् नष्ट कर दिए जायेंगे.

(छः) यदि किन्हीं विशेष कारणवश, खनि पट्टेधारी उसकी खदान से निकास किये जाने वाले सम्पूर्ण खनिज अयस्क की स्टेकिंग कर, नमूनीकरण कराने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे इसके लिये राज्य शासन को कारण एवं औचित्य दर्शाते हुए आवेदन देना होगा. राज्य शासन, यदि खनिपट्टेधारी द्वारा बताये गये कारण से संतुष्ट होता है, तो खनिपट्टा क्षेत्र से खनिज का बिना नमूनीकरण कराये, खनिज अयस्क के निकास की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर सकेगा कि खनि पट्टाधारी उसके द्वारा खनिपट्टा अनुबंध करते समय प्रस्तुत किये गये अनुमोदित मायनिंग प्लान में उल्लिखित खनिज अयस्क के औसत ग्रेड (मेटल कन्टेंट) अथवा विगत नमूनीकरण में प्राप्त ग्रेड (मेटल कन्टेंट), दोनों में जो भी अधिक हो, के आधार पर तत्समय प्रचलित दर से रायल्टी का भुगतान शासन को करेगा.

(सात) राज्य में संचालित सभी मेटेलिक अयस्क के खनि पट्टों जिनमें रायल्टी खनिज अयस्क में शामिल धातु (मेटल कन्टेंट) और बेंचमार्क कीमतों के आधार पर प्रभारित किये जाने का प्रावधान है, में कम से कम वर्ष में एक बार, कंडिका 4(5)(एक) में उल्लिखित समिति द्वारा सैम्पलिंग (नमूनीकरण) एवं उसका विश्लेषण कराकर खनिज अयस्क के ग्रेड (मेटल कन्टेंट) की जानकारी एकत्रित कराने का दायित्व संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म का होगा.

नियम 4 (6)

रेल्वे साइडिंग से एण्ड यूज संयंत्र अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रोसेसिंग संयंत्र/भण्डारण स्थल तक खनिज परिवहन करने की प्रक्रिया :—

(एक) रेल्वे साइडिंग से खनिज का एण्ड यूज संयंत्र अथवा प्रोसेसिंग संयंत्र/अनुज्ञप्ति प्राप्त भण्डारण स्थल तक परिवहन, स्थानीय अभिवहन पास प्ररूप-13 के द्वारा किया जावेगा.

(दो) ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो कि रेल मार्ग से परिवहन कर लाये गये खनिज का रेलवे साईडिंग से उनके एण्ड यूज संयंत्र अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रोसेसिंग संयंत्र/भण्डारण स्थल तक परिवहन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को संबोधित कर आवेदन निर्धारित प्ररूप-11 में सम्यक् जानकारी सहित संबंधित जिले के खनिज शाखा को दिया जावेगा.

(तीन) प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा परिवहन कर लाये गये खनिज की मात्रा का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत रेल्वे रिसीप्ट (आर.आर.) में दर्ज खनिज मात्रा का प्ररूप-12 के अनुसार संधारित पंजी में प्रविष्टि करेगा. परिवहन कर रेल्वे साईडिंग पर लाये गये खनिज की आर. आर. में दर्ज मात्रा का सत्यापन जिले का प्रभारी खनिज अधिकारी स्वतः करेगा या उसके अधीनस्थ कार्यरत सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक से करायेगा. यदि उपरोक्त में से कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो कलेक्टर, जिले के किसी अन्य अधिकारी को इसके लिए अधिकृत कर खनिज की मात्रा का भौतिक सत्यापन करा सकेगा.

(चार) आवेदक स्थानीय अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए, पूर्व में प्राप्त किये गये स्थानीय अभिवहन पास में से उपयोग में लाये गये तथा उसके पास शेष बचे स्थानीय अभिवहन पास विवरण प्ररूप-14 में जमा करेगा. जिसकी जांच जिले में पदस्थ खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक द्वारा किये जाने के उपरान्त ही नवीन स्थानीय अभिवहन पास जारी किये जायेंगे.

(पांच) स्थानीय अभिवहन पास में दिनांक, समय एवं मात्रा का स्पष्ट लेख न करना अथवा उसमें काटछाँट/फेरबदल करना या स्थानीय अभिवहन पास में दर्ज गंतव्य स्थल अनुसार खनिज का परिवहन करना ना पाये जाने अथवा स्थानीय अभिवहन पास का अन्य किसी प्रकार से दुरुपयोग करना पाये जाने पर ऐसा कृत्य एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 21 के तहत दण्डनीय होगा.

(छः) रेल्वे मार्ग से परिवहन कर लाये गये खनिज को अनलोड करने की रेल्वे साईडिंग, यदि एण्ड यूज संयंत्र के परिसर के अंदर है, तो उसके लिए स्थानीय अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

प्ररूप-2 (क)

[देखिए नियम 4(5) (एक)]

खनिपट्टा क्षेत्र में स्टेक किए गए खनिज के नमूनीकरण (सैम्पलिंग) हेतु आवेदन

प्रति,

कलेक्टर
जिला कार्यालय (खनि शाखा)
जिला. . . . .
छत्तीसगढ़

कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता को ग्राम . . . . तहसील. . . . . जिला . . . . .के रकबा . . . . गें खनिज. . . . . हेतु स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में भण्डारित (स्टेक) किए गए खनिज का नमूनीकरण कराने का कष्ट करें.

2. भण्डारित खनिज के स्टेक का विवरण निम्नानुसार है :—

स. क्र.	स्टेक क्रमांक	स्टेक का माप (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) (मीटर में)	आयतन (घनमीटर)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टन में)	खनिज का साईज	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

नमूनीकरण कार्यवाही में मैं स्वतः उपस्थित रहूंगा/मेरी ओर से श्री. . . . . पिता . . . . पता . . . . मो. नंबर . . . . मेरे अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे जिनका हस्ताक्षर मेरे द्वारा नीचे अभिप्रमाणित किया जा रहा है.

. . . .
हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि

1. . . . .

2. . . . .

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
(कंपनी/फर्म के मामले में सील)

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

प्ररूप-2 (ख)

[देखिए नियम 4(5) (तीन)]

खनिपट्टा क्षेत्र में स्टेक किए गये खनिज अयस्क के नमूनीकरण (सैम्पलिंग) विश्लेषण परिणाम

प्रति,

1. संचालक,
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
रायपुर (छ.ग.)

2. क्षेत्रीय प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय, ...
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
. . . .(छ.ग.)

3. कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला . . . .(छ.ग.)

1. खनि पट्टा का विवरण
(1) आई.बी.एम. द्वारा आवंटित रजिस्ट्रेशन क्रमांक . . . .
(2) खदान का नाम एवं कोड . . . .
(3) खनिज का नाम . . . .
(4) माईनिंग प्लान के अनुसार खनिज का औसत ग्रेड (मेटल कंटेंट) . . . .

2. नमूनीकरण (सेम्पलिंग) का दिनांक . . . .

3. सेम्पलिंग किये गये कुल स्टेक की संख्या . . . .

4. स्टेक वाईज रिप्रजेंटेटिव सेम्पल के विश्लेषण परिणाम

स्टेक क्रमांक	स्टेक का साइज	रिप्रजेंटेटिव सेम्पल का ग्रेड (मेटल कंटेंट)	रिमार्क
1			
2			
3			
4			
5			
6			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही है.

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर . . . .
नाम	नाम	नाम . . . .
पदनाम.	पदनाम.	पदनाम . . . .
सहा. भौमिकी विद्/भौमिकी विद्	सहा. रसायनज्ञ/रसायनज्ञ	
(क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय)	(क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय)	(कलेक्टर, खनिज शाखा)

प्ररूप-11

रेल्वे साईडिंग से खनिज परिवहन हेतु स्थानीय अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु आवेदन

[नियम-4 (6) (2) देखिए]

1.	आवेदक का नाम/	—	....
	पदनाम (कंपनी या फर्म के मामले में)	—	....
	मोबाइल नम्बर	—	....
2.	खनिज का नाम	—	....
3.	रेल्वे रिसीप्ट (आर. आर.) क्रमांक एवं दिनांक (प्रति संलग्न करें)	—	............................(क्युबिक मीटर/टन)
4.	रेल्वे साईडिंग का नाम (जहां से खनिज का परिवहन किया जाना है)	—	....
5.	खनिज प्राप्तकर्ता तथा गंतव्य स्थल का नाम एवं पूर्ण पता	—	....
6.	खनिज परिवहन किस प्रयोजन हेतु किया जा रहा है	—	बिक्री/स्वयं के संयंत्र में उपयोग/अन्य ....
7.	आवश्यक अभिवहन पास की संख्या	—	....
8.	गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में जिस मार्ग से परिवहन किया जाना है उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है, निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध खनिज परिवहन के श्रेणी में आयेगा.	—	....
9.	अन्य विवरण	—	....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

(कंपनी/फर्म के मामले में सील)

प्ररूप-12
[नियम-4 (6) (3) देखिए]

रेल्वे साईडिंग से खनिज परिवहन हेतु जारी स्थानीय अभिवहन पास हेतु संधारित पंजी (प्ररूप)

स. क्र.	खनिज के स्वामी (Owner) का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर	रेल्वे साईडिंग का नाम (जहां से खनिज का परिवहन किया जाना है)	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा	आर.आर. का विवरण	रेल्वे साईडिंग परिवहन का गंतव्य स्थल का पूर्ण पता	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	जारी अभिवहन बुक क्रमांक एवं संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप–13

[नियम–4 (6) (1) देखिए]

रेलवे साईडिंग पर अनलोड हुए खनिज के परिवहन हेतु स्थानीय अभिवहन पास

पुस्तक क्रमांक.....................   पास क्रमांक ....

1. रेलवे साइडिंग का नाम — ....

2. खनिज का नाम — ....

3. खनिज की मात्रा (टन/घनमीटर में) — ....

4. खनिज के स्वामी (Owner) का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर — ....

5. आर. आर. का विवरण — ....

6. ट्रान्सपोर्टर का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर — ....

7. वाहन (केरियर) का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मॉडल — ....

8. वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर — ....

....

9. रेलवे साइडिंग से खनिज लोड करने की तारीख एवं समय — (अंकों में).........../............/...................................

— (शब्दों में)...

....सुबह/शाम

10. खनिज परिवहन का गंतव्य स्थान एवं पता — ....

अभिवहन पास जारी करने वाले का नाम,
पदनाम (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर (सील सहित)

वाहन चालक का नाम
हस्ताक्षर
दिनांक

जांचकर्ता का नाम
हस्ताक्षर
दिनांक

अभ्युक्तियां :—

1. समस्त प्रविष्टियां किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना केवल बाल प्वाइंट पेन से किया जाना अनिवार्य है.

2. स्थानीय अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, दिनांक, समय एवं मात्रा का लेख ना करना अथवा उसमें काट-छांट/फेरबदल करना दण्डनीय होगा.

3. स्थानीय अभिवहन पास का एक से अधिक बार उपयोग करना अथवा खनिज का स्थानीय अभिवहन पास में लिखित गंतव्य स्थान से अन्य स्थान पर परिवहन करना अधिनियम/नियमों के तहत दंडनीय कृत्य होगा.

4. कार्बन प्रति वाहन के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति स्थानीय अभिवहन पास पुस्तक में रखा जाना होगा, जिसे आगामी स्थानीय अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु खनिज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे निरस्त करने के उपरान्त ही नवीन स्थानीय अभिवहन पास प्रदान की जावेगी.

प्ररूप-14

[नियम-4 (6) (क) देखिए]

रेल्वे साईडिंग से खनिज परिवहन विषयक

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मासिक गोशवारा

माह .... वर्ष ....

1. परिवहनकर्ता का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर — ....
....
2. खनिज का नाम — ....
3. रेल्वे साईडिंग का नाम जहां से खनिज परिवहन किया गया. — ....
4. माह में परिवहन किये गये खनिज की कुल मात्रा — ....
5. खनिज परिवहन हेतु प्राप्त स्थानीय अभिवहन पास का विवरण — ....
....

स. क्र.	प्राप्त किये गये स्थानीय अभिवहन पास का विवरण			उपयोग किये गये स्थानीय अभिवहन पास का विवरण			शेष बचे स्थानीय अभिवहन पास का विवरण जिनका उपयोग नहीं किया गया			रिमार्क
	क्रमांक से	क्रमांक तक	कुल संख्या	क्रमांक से	क्रमांक तक	कुल	क्रमांक से	क्रमांक तक	कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल योग			कुल योग			कुल योग			

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
(कंपनी/फर्म के मामले में सील)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.